न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 01/ 2022
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2022/8

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
1. नगरपालिका कुशलगढ जिला बॉसवाडा द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका कुशलगढ, जिला बॉसवाडा 2. नगरपालिका कुशलगढ जिला बॉसवाडा द्वारा अध्यक्ष, नगरपालिका कुशलगढ, जिला बॉसवाडा	**बनाम**	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुशलगढ जिला बॉसवाडा

उपस्थित

श्री रवि पुरी अधिवक्ता — तहसीलदार तहसील कुशलगढ

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय, तहसीलदार तहसील कुशलगढ, जिला बॉसवाडा, प्रकरण संख्या 5153/2021 अन्तर्गत धारा 91 भूराजस्व अधिनियम 1956, निर्णय दिनांक 15–02–2022 के विरुद्ध अपील

दिनांक :– 14/03/2022

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार कुशलगढ द्वारा उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ के पत्रांक 1362 दिनांक 04.12.2021 के क्रम में प्राप्त शिकायत नगरपालिका कुशलगढ द्वारा नदी नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य रुकवाने एवं अवैध (रिंगवाल) निर्माण करने से भू अभिलेख निरीक्षक कुशलगढ एवं पटवारी हल्का कुशलगढ की जॉच रिर्पोट अनुसार राजस्व ग्राम कुशलगढ के खाता सं. 01 खसरा संख्या 325 रकबा 3.9740 है. श्रीसरकार नदियॉ तथा नाले की भूमि जिसमें से रकबा 0.647 है. नदी के समीप पश्चिम दिशा में लगभग (उत्तर में 10, मध्य में 40, दक्षिण में 20 फीट) चौड़ा रींगवाल उत्तर दक्षिण लम्बाई लगभग 310 फीट होकर घुमावदार आकृति में रींगवाल निर्माण कार्य नगरपालिका कुशलगढ द्वारा किया गया। जिस पर तहसीलदार कुशलगढ द्वारा अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:08:03 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Scanned with CamScanner

रजिस्टर कर दिनांक 15.02.2022 को उक्त अतिक्रमण नगरपालिका के स्वयं खर्चे पर सात दिवस में हटाने निर्णय पारित किया गया, उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र वास्ते स्थगन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेण्ट को समन जारी किया गया ।

रेस्पोडेंट तहसीलदार, कुशलगढ द्वारा दिनांक 24–02–2022 से इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया गया कि नदी के बहाव क्षैत्र से होने वाले कटाव को रोकने के लिये रिंगवाल का निर्माण किनारे पर न करवाकर नदी के भीतर लगभग 40 फीट तक करवाया गया है तथा निर्माण के लिये सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नही की गई है। प्रकरण में शिकायतकर्ता के दबाव मे फैसला नही किया गया है, प्रश्नगत भूमि के नदी के पेटे में निर्माण करवाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में अब्दुल रहमान विरुद्ध राजस्थान सरकार व अन्य, 2004 के आदेशानुसार बहाव क्षैत्र में किसी प्रकार का निर्माण वर्जित है। प्रश्नगत भूमि नगरपालिका के नाम नही होकर किस्म श्रीसरकार नदीयॉ तथा नाले दर्ज रिकार्ड है।

दिनांक 14.03.2022 को रेस्पोडेंट एवं अपीलांट की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस में कथन किया गया कि तहसीलदार कुशलगढ द्वारा उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ के पत्रांक 1362 दिनांक 04.12.2021 के क्रम में प्राप्त शिकायत नगरपालिका कुशलगढ द्वारा नदी नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य रुकवाने एवं अवैध (रिंगवाल) निर्माण करने से भू अभिलेख निरीक्षक कुशलगढ एवं पटवारी हल्का कुशलगढ की जॉच रिर्पोट अनुसार राजस्व ग्राम कुशलगढ के खाता सं. 01 खसरा संख्या 325 रकबा 3.9740 है. श्रीसरकार नदियॉ तथा नाले की भूमि जिसमें से रकबा 0.647 है. नदी के समीप पश्चिम दिशा में लगभग (उत्तर में 10, मध्य में 40, दक्षिण में 20 फीट) अन्दर रींगवाल उत्तर – दक्षिण लम्बाई लगभग 310 फीट होकर घुमावदार आकृति में रींगवाल निर्माण कार्य नगरपालिका कुशलगढ द्वारा किया गया। जिस पर तहसीलदार कुशलगढ [illegible] धारा 91 [illegible] अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 15.02.2022 को उक्त [illegible] पालिका के स्वयं खर्चे पर सात दिवस में हटाने निर्णय पारित किया गया है। [illegible] पश्चिम दिशा में नगरपालिकाओ की सीमाओ व नगरपालिका रोड से लगती हुई नदी पेटे की [illegible] नदी की सरकारी भूमि है। उक्त नदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:08:03 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाँसवाड़ा

Scanned with CamScanner

के दोनो किनारो पर आम सडक बॉसवाडा गामदा रोड व कुशलगढ से रतलाम आम डामर रोड पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है। रिंगवाल का निर्माण नगरपालिका के अधिकारी व बोर्ड द्वारा दायित्वो के अधिन विधिपूर्वक नगरपालिका द्वारा देखरेख में किया जा रहा है। दौलपुरा, रतलाम मार्ग पर रास्ते की सुरक्षा हेतु व आबादी के मकानो को नुकसान से बचाने, मिट्टी के कटाव को रोकने नदी पेटे में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बरसो पुरानी रिंगवाल बनी हुई है। इसी प्रकार पंचायत समिति द्वारा नागनाथ मंदिर के सामने नदी किनारे पर शमशान घाट पर, उदयबाग से सोमनाथ मंदिर पर एवं प्राचिन बोहरा कब्रीस्तान पर नदी पेटे में तथा यतिजी के बगीचे में, नवकार गार्डन पर पुरानी रिंगवाल बनी होकर स्थित है। जिस स्थान पर नदी पानी बहाव से मिट्टी का कटाव अधिक होता है वहॉ रिंगवाल जनसुरक्षा हेतु आवश्यक होने से समय समय पर सरकार द्वारा बनवाई गई है एवं जन सुरक्षा व जनहित में यह राज्य सरकार व स्थानीय स्वायत संस्थाओ की जवाबदारी भी है। पांडवासाथ की बस्ती के लोगो के द्वारा उनके मकानातो के आगे रिंगवाल नही बनी हुई है उनके द्वारा नगरपालिका को लिखित में रिंगवाल बनाने के लिये निवेदन किया। रींगवाल नहीं बनने के कारण से विगत वर्षो 1973, 1977, 2006 में बारिश के समय में बाढ़ के दौरान नदी में कई बार पानी का तेज बहाव मुस्लीम बस्ती व पांडवासाथ की बस्ती में घुस गया था। आज जन जीवन को आसन्न संकट हो गया था। आम जनता को जान माल का भारी जोखीम ना हो, जिसके लिये नदी के पश्चिम किनारे पर रींगवाल बनानी आवश्यक होने से रींगवाल बनाई गई है। रींगवाल बनाने में अपीलार्थी का किसी प्रकार अतिक्रमण करने की नियत नहीं होकर जनहित व राजहित में उक्त कार्य करवाया गया ताकि रींगवाल बन जाने से पानी बस्ती में ना घुसे एवं पानी का सीपेज होकर भी बस्ती के कच्चे मकानातों को कमजोर नहीं करे भविष्य में किसी प्रकार से अचानक से भारी बाढ़ आ जाने के समय जनता व जान माल की रक्षा हो सके। राजकिय भूमि का नुकसान करने या राज्य सरकार की संपति को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने, दुरूपयोग की कोई भी मंशा अपीलार्थी की नहीं रही है। लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा नगरपालिका संस्था व पदाधिकारीयों से निजी व्यक्तिगत द्वेषता के कारण से दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर उ[illegible]ाण कार्य को नहीं करने देना चाहते हुये निजी हितो को साधने [illegible] विद्वेषपूर्ण गलत सूचना व शिकायत की है। हिरन नदी के किनारे की किनारे ही कुशलगढ़ नगर बसा हुआ है तथा कालान्तर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:08:03 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Scanned with CamScanner

लगातार नदी बहाव के कारण नदी का पेटा चौडा होता गया है। वर्षाकाल में हिरन नदी का पानी नगर के रिहायशी ईलाको में प्रवेश कर जाता है, जिसके साथ गन्दगी, मिट्टी व मलबा भी नगर में फैल जाता है और प्रदषण फैलता है। इसके साथ ही कई प्रकार के जहरीले जानवर भी नदी के सहारे नगर में प्रवेश कर जाते है। नगरपालिका कुशलगढ़ के निवासियों की जान व माल पर मंडराते खतरे के निवारण हेतु लम्बे समय से नगरवासियों की ओर से नदी के शहर की तरफ के भाग पर रींगवाल के निर्माण की मांग उठती रही है। जो वाजिब मांग भी है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए नगरपलिका कुशलगढ़ द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र की भूमि पर ही रींगवाल का निर्माण लोकहित में करवाया है। प्रश्नगत निर्माण में कोई व्यक्तिगत हित निहित नहीं है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में यह मार्गदर्शन दिया गया है कि, नगर परिक्षैत्र में आने वाली सम्पूर्ण नुजूल सम्पत्ति का आधिपत्य देख–रेख, सुरक्षा, सुचारू व्यवस्था एवं उपयोग का अधिकार एकमात्र नगरपालिका को प्राप्त है। विधि के अनुसार तहसीलदार कुशलगढ़ को नगरपालिका की भूमियों पर कोई अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं है और राजकीय खजाने से खर्च हुए लाखों रूपयों की सम्पत्ति को एक आदेश से ध्वस्त करने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 304 में वर्णित प्रावधान अनुसार नगरपालिका के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही 2 माह के अग्रीम नोटिस के बिना नहीं की जा सकती है परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा उक्त प्रावधानों के विरूद्ध प्रश्नगत निर्णय आनन फानन में पारित किया है।

अपीलार्थी विरूद्ध प्रत्यर्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी का प्रश्नगत आदेश दिनांक 15.02.2022 को अपास्त कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेंट तहसीलदार कुशलगढ ने बहस के दौरान कथन किया कि नदी के बहाव क्षैत्र से होने वाले कटाव को रोकने के लिये रिंगवाल का निर्माण किनारे पर न करवाकर नदी के भीतर लगभग 40 फीट तक करवाया गया है तथा निर्माण के लिये सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नही की गई है। प्रकरण में शिकायतकर्ता के दबाव मे फैसला नही किया गया है, प्रश्नगत भूमि के नदी के पेटे में निर्माण करवाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में अब्दुल रहमान विरुद्ध राजस्थान सरकार व अन्य, 2004 के आदेशानुसार बहाव क्षेत्र [illegible] प्रकार का निर्माण वर्जित है। प्रश्नगत भूमि नगरपालिका के नाम नही होकर किस्म [illegible] तथा नाले दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:08:03 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,बांसवाड़ा

Scanned with CamScanner

नगरपालिका कुशलगढ द्वारा नदी के बहाव क्षैत्र पर निर्माण किया जा रहा है जिससे बहाव क्षैत्र प्रभावित होना स्वाभाविक है। अपील अपीलांट खारिज करने निवेदन किया।

हमने अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण प्रमाणित पाये जाने पर अतिक्रमी को बेदखल करने एवं शास्ती आरोपित करने के प्रावधान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 मे है एवं इसके तहत् कार्यवाही के लिए तहसीलदार सक्षम है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार कुशलगढ द्वारा नदी के बहाव क्षैत्र में अतिक्रमण प्रमाणित पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–02–2022 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 14–03–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अति.जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:08:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner